Regarding need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution-Laid

श्री राजीव राय (घोसी) : भोजपुरी भाषा हजारों साल पुरानी है, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और यह बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐतिहासिक रूप से इसे कैथी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन 1894 से देवनागरी लिपि ने इसे मुख्य लिपि के रूप में स्थान दिया। भोजपुरी का साहित्य भी समृद्ध है, जिसमें महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, विवेकी राय और भिखारी ठाकुर जैसे लेखकों की कृतियाँ शामिल हैं। हिंदी के कुछ अन्य प्रमुख लेखक जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद भी भोजपुरी साहित्य से गहरे रूप से प्रभावित थे।

हम सभी जानते हैं कि भोजपुरी एक महत्वपूर्ण भाषा है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से, बिहार के पश्चिमी हिस्से और झारखंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है। साथ ही यह मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, नेपाल जैसे देशों में भी महत्वपूर्ण प्रवासी समुदायों द्वारा बोली जाती है। अनुमान है कि भारत में 50 मिलियन से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं, जिससे यह देश की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 28.50 लाख से अधिक है।

भोजपुरी फिल्में भारत और विदेशों में लोकप्रिय हैं और हिंदी फिल्म उद्योग पर भी इनका प्रभाव पड़ा है। लेकिन अफसोस की बात है कि भोजपुरी को यूनेस्को के भाषा विश्व एटलस में एक संकटग्रस्त भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो हिंदी के प्रभाव और सरकार की निरंतर उपेक्षा के कारण है।

भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की लंबित मांग है, ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके। उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी को उसका उचित स्थान देने के लिए आंदोलन शुरू किए गए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि "भोजपुरी" भाषा आज भी संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं पा सकी है, जबकि सरकार ने इसके लिए वादे किए थे। अनुसूचित दर्जा मिलने से एक भाषा को कई फायदे मिलते हैं। यह भाषा को बढ़ने में मदद करता है और समय के साथ एक प्रभावी संवाद का माध्यम बनाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भोजपुरी को बिना किसी और देरी के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।